न्यायालय – सेशन न्यायाधीश, बाडमेर, जिला बाड़मेर (राज.)

पीठासीन अधिकारी	:	अजिताभ आचार्य, आर.जे.एस. जिला न्यायाधीश संवर्ग
प्रकरण संख्या	:	78/2026 फौजदारी विविध (CIS No. 166/2026)
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.	:	327/2025 पुलिस थाना सदर, बाड़मेर अपराध अंतर्गत धारा 331(6), 351(3), 324(2)(6) बी.एन.एस.

भवानीसिंह पुत्र बाघसिंह, निवासी राणीगांव तहसील व जिला बाड़मेर, पुलिस थाना सदर, बाड़मेर

– प्रार्थी/अभियुक्त

विरुद्ध

राजस्थान राज्य

– अभियोगी

जमानत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

उपस्थित :–

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से	:	श्री विष्णु चौधरी, अधिवक्ता
राज्य की ओर से	:	श्री दामोदर कुमार चौधरी, लोक अभियोजक

आदेश दिनांक : 11.03.2026

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 15.11.2025 को परिवादी कमलसिंह ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 13.11.2025 को रात्रि 11:00 बजे भवानीसिंह पुत्र बाघसिंह, बाघसिंह पुत्र सगतसिंह, जयसिंह पुत्र सांवलसिंह, स्वरूपसिंह पुत्र सांवलसिंह, मनोहरसिंह पुत्र बाघसिंह, गिरधरसिंह पुत्र मंगलसिंह और चार अन्य व्यक्ति एक राय होकर उसके घर जो कि जोधसिंहपुरा में है, के चारों तरफ घेरा डाला और जोर–जोर से आवाजें लगायी तथा मारने की धमकियां दी। उन्होंने उससे कहा कि 'तू और तेरा पुत्र मानवेन्द्रसिंह गांव खाली करके चले जाओ, नहीं तो हम तुम दोनों

बाप–बेटा को जान से मार देंगे।' भवानीसिंह ने कहा कि 'मेरे कई गैंग व गैंगवार लोगों से संबंध हैं, मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे मानवेन्द्रसिंह को जिन्दा नहीं छोड़ने वाला।' चार व्यक्यिों के मुंह काले कपड़े से ढ़के हुए थे जो उसकी पहचान में नहीं आए। भवानीसिंह के पास धारियां थी और अन्य सभी के पास लाठियां व लोहे के सरिये थे। भवानीसिंह उसे बार–बार गालियां देकर लड़ने के लिए उकसा रहा था। जयसिंह व बाघसिंह लाठियां सड़क पर पीटकर गाली–गलोच कर रहे थे। भवानीसिंह ने दो–तीन बार कहा 'देख मेरे पास रिवॉल्वर है, तुम बाप–बेटा बाहर आओ, अभी आपका काम तमाम कर देते हैं।' उन लोगों ने जाते–जाते उसके घर की रैलिंग लाठियों और सरियों से तोड़ दी। उसके मकान में घुसकर रैलिंग तोड़कर अंदर आकर ललकारने लगे। इतने में शोर–गुल सुनकर पदमसिंह पुत्र विजयसिंह और भूरसिंह पुत्र सुजानसिंह जो कि उसके पड़ोसी हैं, बाहर आए और कहने लगे 'क्यों बदमाशी कर रहे हो, ढाणी में जाग होते देख एक बार मान गए, मगर 11 बजे से 1 बजे तक तीन मोटरसाइकिलों पर चक्कर काटते रहे और उसे बार–बार ललकारते रहे। वह और उसका पुत्र चारदीवारी से बाहर नहीं आए। वे यदि बाहर आते तो उन्हें जान से मार देते। उसे और उसके पुत्र को जान का खतरा है। इत्यादि रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 327/2025 अपराध अंतर्गत धारा 189(2), 331(6), 324(4) भारतीय न्याय संहिता में दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा बाद संपूर्ण अनुसंधान प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है। दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 04.12.2025 को गिरफ्तार कर अभिरक्षा में भेजा गया। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा विद्वान् न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1, बाड़मेर के समक्ष जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 पेश किया गया, जिसे विद्वान् न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1, बाड़मेर द्वारा दिनांक 06.03.2026 को खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त भवानीसिंह की ओर से यह जमानत आवेदन पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अधीन पेश किया गया, जिसकी नकल विद्वान् लोक अभियोजक को दिलाई गयी। प्रकरण आपराधिक विविध दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली तलब की गई। उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

2. दौराने बहस विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने जमानत प्रार्थना

पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। आरोपित अपराध में आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड की सजा का प्रावधान नहीं है। प्रार्थी से कोई अनुसंधान या बरामदगी शेष नहीं है। प्रार्थी दिनांक 04.12.2025 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धि नहीं है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र भी पेश किया जा चुका है तथा वर्तमान में प्रकरण साक्ष्य अभियोजन के स्तर पर लंबित है, जिसके विचारण में पर्याप्त समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ दिया जावे। विद्वान् लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध किया।

3. उभय पक्षों के तर्कों को सुना, पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया।

4. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के न्यायिक दृष्टांत S.B.Cri. Misc. Bail Application No. 13513/2020 जुगल बनाम राजस्थान राज्य में दिये गये निर्देशानुसार पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध हस्तगत प्रकरण के अतिरिक्त अन्य 09 आपराधिक प्रकरण दर्ज होने का अंकन किया गया है जो निम्न प्रकार है :–

क्रम संख्या	मुकदमा संख्या	धारा	पुलिस थाना	नतीजा
1.	10/2018	341, 323, 458/34 भा.दं.सं. व एससी/एसटी एक्ट	सदर	पैंडिंग कोर्ट
2.	65/2019	341, 323/34 भा.दं.सं. व एससी/एसटी एक्ट	सदर	पैंडिंग कोर्ट
3.	355/2021	147, 148, 341, 323, 324, 326, 354, 509, 427, 307/149 भा.दं.सं. व एससी/एसटी एक्ट	चौहटन	पैंडिंग कोर्ट
4.	07/2023	341, 323, 308/34 भा.दं.सं.	सदर	पैंडिंग कोर्ट
5.	403/2023	452, 341, 323, 440 भा.दं.सं.	सदर	पैंडिंग कोर्ट
6.	101/2024	341, 323, 327, 384 भा.दं.सं.	सदर	पैंडिंग कोर्ट
7.	179/2024	341, 323, 327, 427/34 भा.दं.सं. व एससी/एसटी एक्ट	सदर	पैंडिंग कोर्ट
8.	586/2024	115(2), 126(2), 119(1), 324(4), 333 बीएनएस	कोतवाली	पैंडिंग कोर्ट
9.	298/2025	331(6), 119(1), 115(2), 324(2) बीएनएस	सदर	पैंडिंग कोर्ट

5. पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 331(6), 351(3), 324(2)(6) बी.एन.एस. में बाद संपूर्ण अनुसंधान आरोप पत्र पेश किया गया है। आरोपित अपराध में आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड की सजा का प्रावधान नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई अनुसंधान एवं

बरामदगी शेष नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 04.12.2025 से अभिरक्षा में है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धि नहीं बतायी गयी है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त अपराधों का आरोप भी पृथक से विरचित कर सुनाया जा चुका है। प्रकरण वर्तमान में साक्ष्य अभियोजन के स्तर पर लंबित है, जिसके विचारण में पर्याप्त समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6. अतः प्रार्थी/अभियुक्त भवानीसिंह पुत्र बाघसिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं. स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त पचास हजार रुपए की मौतबीर जमानत व पचास हजार रुपए का स्वयं का व्यक्तिगत बन्धपत्र प्रकरण के विचारण मध्य नियमित रूप से उपस्थिति हेतु विद्वान् न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1, बाड़मेर के समक्ष उनकी संतुष्टि अनुसार प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो प्रार्थी/अभियुक्त को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 327/2025 पुलिस थाना सदर, जिला बाड़मेर अपराध अंतर्गत धारा 331(6), 351(3), 324(2)(6) बी.एन.एस. में जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(अजिताभ आचार्य)
सेशन न्यायाधीश, बाड़मेर
जिला बाड़मेर

7. आदेश आज दिनांक 11.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजिताभ आचार्य)
सेशन न्यायाधीश, बाड़मेर
जिला बाड़मेर

AMAN SHARMA
Steno Gr. III
"Authenticate document"
Digitally signed by AMAN SHARMA
Date: 2026.03.12 09:45:32 +0530